न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—290/2016/223 (2016/00290)

1. देवा पुत्र स्व0 बन्ना, जाति रावत, निवासी रामावास, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।
2. अमरा पुत्र स्व0 बन्ना, जाति रावत, निवासी रामावास, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर (स्वर्गवास) जरिये वारिसानः—
   2/1— श्रीमती कंचन पत्नी स्व0 अमरा जाति रावत,
   2/2— मुकेश पुत्र स्व0 अमरा, जाति रावत,
   2/3— अशोक पुत्र स्व0 अमरा, जाति रावत,
   2/4— अनिता पुत्री स्व0 अमरा, जाति रावत,
   2/5— सुनीता पुत्री स्व0 अमरा, जाति रावत,
   समस्त निवासी रामावास, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. बीरमा पुत्र मिट्ठू, जाति मेघवाल,
2. रणजीत पुत्र मिट्ठू, जाति मेघवाल,
3. गाजी पुत्र मिट्ठू, जाति मेघवाल,
4. श्रीमती फून्दी पत्नी मिट्ठू, जाति मेघवाल,
5. पूना पुत्र स्व0 घीसा, जाति मेघवाल,
6. मोहन पुत्र स्व0 धन्ना, जाति मेघवाल,
7. अणदा पुत्र स्व0 धन्ना, जाति मेघवाल,
8. श्रीमती मेथी पत्नी स्व0 धन्ना, जाति मेघवाल,
   समस्त निवासी ग्राम रामावास तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।
9. श्रीमती रूकमा देवी पत्नी रूपसिंह, जाति रावत,
10. बाबू पुत्र रूपसिंह, जाति रावत,
11. श्रीमती संतोष पुत्री स्व0 रूपसिह पत्नि शंकरसिंह, जाति रावत,
    समस्त निवासीगण ग्राम रामावास, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।
12. राजस्थान सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार, ब्यावर ।
13. उप पंजीयक, ब्यावर, जिला अजमेर ।
14. जिला कलक्टर, अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

<u>अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर दिनांक 18.6.2016 अंतर्गत वाद संख्या 181/2010.</u>

<u>उपस्थितः—</u>

1. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील अपीलांटस ।
2. श्री ज्ञानचंद गदिया, वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 5.
3. रेस्पो0 संख्या 2, 3, 4, 6 से 10 अनुपस्थित ।
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता वकील रेस्पो0 संख्या 12 से 14.

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

निर्णय

दिनांकः— 3.9.2024

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.6.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. वादीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधि0 1936 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पो0 के पेश कर कथन किया कि मौजा दुर्गावास पटवार क्षैत्र दुर्गावास तहसील ब्यावर में खसरा नंबर 64 रकबा 16 बिस्वा किस्म बा.3, खसरा नंबर 65 रकबा 1 बिस्वा किस्म बा.3, खसरा नंबर 65 रकबा 6 बिस्वा 10 बिस्वांसी किस्म बा.3, खसरा नंबर 565 रकबा 2 बिस्वा 20 बिस्वांसी किस्म चाह स्थित है। उक्त वर्णित भूमियों के खातेदार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 10 लगायत 12 के पूर्व उमा जी थे उनके स्वर्गवास के पश्चात् उनके चार पुत्र मोती, भोमा, बन्ना व सवाई खातेदार हो गये तथा उनके मध्य हुए भाई—बंटवारे में उक्त वर्णित भूमि वादीगण के पूर्वज अर्थात् उमा जी के पुत्र बन्ना के हिस्से में आई । इस प्रकार उपरोक्त वर्णित आराजी के अकेले खातेदार काश्तकार श्री बन्ना पुत्र उमा हो गये थे । इसी प्रकार पद ख में वर्णित आराजी मे बन्ना का 1/साढे 18 हिस्सा था । वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 10 लगायत 12 का सजरा वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित किया गया है । उपरोक्त भूमियों पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 10 से 12 ही अपने पूर्वजों के समय से काबिज काश्त चले आ रहे है । वादी संख्या 1 व 2 के भ्राता हेमसिंह व रूपसिंह को उनकी निजी आवश्यकता के लिए रकम कीआवश्यकता थी जिस पर उनके द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 के पिता/पति घीसा, मिट्ठू, धन्ना पुत्रगण बींजा जाति मेघवाल निवासी ग्राम रामावास तहसील ब्यावर से वर्ष 1970 में राशि उधार प्राप्त की थी । उक्त उधार राशि के एवज में घीसा, मिट्ठू, धन्ना द्वारा धोखाधडी करते हुए वादी संख्या 1 व 2 की नाबालिग अवस्था तथा हेमसिंह व रूपसिंह व उनकी माता श्रीमती बरजी के अनपढ़ व ग्रामीण होने का नाजायज लाभ उठाते हुए उधार रकम की एवज में गिरवी की लिखा पढ़ी का कहकर धोखे से दिनांक 29.9.1970 को विक्रय पत्र निष्पादित करवा लिया तथा घीसा, मिठू, धन्ना द्वारा हेमसिंह व रूपसिंह व उनकी माता श्रीमती बरजी को विश्वास दिलाया कि उक्त गिरवी की लिखापढ़ी मात्र उधार रकम की ऐवज में करवाई जा रही है । इसलिये जब रकम चुका देंगे तब उक्त गिरी की लिखापढ़ी कैंसिल करवा देगें । इस प्रकार हेमसिंह व रूपसिंह ने वर्ष 1975 में संपूर्ण रकम वापिस घीसा, मिठू, धन्ना को अदा कर दी थी तथा इस आशय की लिखापढ़ी उक्त घोषणा पत्र की पुश्त पर दिनांक 10.5.1975 को की गई थी जबकि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 10 लगायत 12 का विवादित भूमियों पर आज दिन तक कब्जा चला आ रहा है । वादीगण के पूर्वजों की समाधि व चबूतरा इत्यादि बने हुए है, तथा वादीगण उनकी नियमित रूप से सेवा पूजा, अर्चना करते है तथा उनमें वादीगण की धार्मिक आस्था एवं विश्वास चला आ रहा है । वादग्रस्त आराजियात पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 का गलत रूप से अंकित होने की वजह से प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 की नियत खराब हो चुकी है तथा उपरोक्त आराजियात पर नाजायज कब्जा करते हुए उक्त भूमियों को अन्यंत्र विक्रय एवं हस्तातंरित कर देने पर आमादा है । इस कारण वाद पेश करना आवश्यक हुआ है । अतः वाद स्वीकार कर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 10 से 12 का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवाया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 18.6.

2016 द्वारा वादीगण का वाद निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अपीलाधीन भूमि में से साबिक खसरा नंबर 8 व 6 कि जिसे घीसा व मिट्ठू पुत्रगण धन्ना को बैचान मानते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है जबकि अपीलाधीन भूमि चौसाला खसरा नंबर 8 रकबा 16 बिस्वा जिसके वर्किंग खसरा नंबर 64, चौसाला खसरा नंबर 6 रकबा 00–18–10 जिसके वर्किंग खसरा नंबर 56 चाह, चौसाला खसरा नंबर 9 रकबा 0–6–10 के वर्किंग खसरा नंबर 65 की भूमि जिसे हेमसिंह, रूपा बालिग, देवा, अमरा नाबालिग जरिये माता बरजी एवं स्वंय बरजी के द्वारा अपीलाधीन भूमि को कभी बैचान ही नहीं की गई बल्कि रहननामा दिनांक 29.9.1970 को निष्पादित किया गया तथा उसी रोज रहननामा को मुक्त किये जाने, भूमि छुड़वाये जाने हेतु इकरारनामा जो कि दस वर्ष की अवधि का निष्पादित किया गया कि जिसकी इकरारनामा के अनुसार संपूर्ण प्रतिफल की राशि जो कि रहन के समय प्राप्त की गई अदा कर दी गई जो कि मूल रहननामा की पुश्त पर राशि की भरपाई भी कर दी गई एवं उसी रोज अलग से घोषणा पत्र भी निष्पादित किया गया तथा साथ ही अपीलाधीन भूमि के संदर्भ में ग्रामवासियों के द्वारा, पंचों के द्वारा अलग से पंच निर्णय भी दिनांक 19.12.2010 को किया गया । इस प्रकार अपीलाधीन भूमि जिसे बेचान नहीं की गई बल्कि रहन रखी गई थी, रहन की राशि भी अदा कर दी गई है । इस प्रकार अधी0न्याया0 के द्वारा रहननामा को बेचाननामा मानकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो विधि के प्रतिकूल होकर निरस्तनीय है । अपीलाधीन भूमि वर्तमान जमाबंदी में रेस्पो0 के नाम गलत दर्ज की गई है जबकि विवादित भूमि पर आज दिवस तक अपीलांटस का ही भौतिक कब्जा काश्त चला आ रहा है । वादपत्र में वादी संख्या 2 अमरा का स्वर्गवास हो चुका था जिसके वारिसान को वाद पत्रावली के रिकार्ड पर लिये जाने हेतु आदेश 22 नियम 3 जा0दी0 के अंतर्गत दिनांक 8.4.2015 को ही आवेदन पत्र पेश कर दिया गया था परन्तु अधी0न्याया0 के द्वारा वादी संख्या 2 अमरा के वारिसान को वाद पत्रावली के रिकार्ड पर ही नहीं लिया गया ना ही आदेश 22 नियम 3 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश ही पारित किया गया ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादीगण द्वारा वादपत्र का जवाबदावा पेश किया गया था जिस पर विधि के सुस्थापित सिद्धांत के अनुसार विवाद बिन्दु कायम किये जाकर पक्षकारान की साक्ष्य, सबूत लिये जाने के उपरांत ही वादपत्र का निर्णय किया जा सकता था किन्तु अधी0न्याया0 ने इस विधिक प्रावधान को नजरअंदाज कर वादपत्र में बिना विवाद बिन्दु कायम किये तथा पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत का अवसर प्रदान किये बिना वाद को खारिज करने में त्रुटि कारित की है । चौसाला जमाबंदी संवत् 2024 से 2027 के अनुसार चौसाला खसरा नंबर 8, 9 व 6 जिसके चौसाला जमाबंदी के खाता संख्या 177 के अनुसार वादीगण का विवादित भूमि खसरा नंबर 8 व 9 में 1/6 हिस्सा ही दर्ज है तथा साथ ही चौसाला खसरा नंबर 6 चाह कि जिसमें कुल 80 हिस्सा में से वादीगण का 6 हिस्सा ही दर्ज है। ऐसी अवस्था में भी तथाकथित विक्रय पत्र दिनांक 29.9.1970 जो कि रहननामा यानि कन्डीशनल सेल के अनुसार भी खसरा नंबर 8, 6 व 9 की संपूर्ण भूमि एवं संपूर्ण चाह को तथाकथित विक्रय पत्र जो कि

रहननामा है के अनुसार हेमसिंह, रूपा बालिग, देवा, अमरा नाबालिग एवं श्रीमती बरजी को तथाकथित विक्रय पत्र जो कि रहननामा है, अंतिम चौसाला जमाबंदी संवत् 2024 से 2027 के अनुसार भी किये जाने का कोई अधिकार नहीं था तथा तथाकथित विक्रय पत्र जो कि रहननामा है प्रारंभ से ही शून्य है । तथाकथित विक्रय पत्र रहन नामा जिसमें देवा व अमरा नाबालिग थे, कि नाबालिग की ओर से श्रीमती बरजी विधि के सुस्थापित सिद्धांत के अनुसार एवं सक्षम न्यायालय की अनुमति के बिना तथाकथित विक्रयपत्र (रहननामा) जो कि नाबालिग देवा व अमरा की ओर से श्रीमती बरजी ने किया है, अधिकार नहीं था । इस प्रकार तथाकथित विक्रय पत्र प्रारंभ से विधिविरूद्ध होकर शून्य है । अधी0न्याया0 ने इस प्रकार के शून्य दस्तावेज के आधार पर वाद खारिज करने में त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन यिका कि चौसाला खसरा नंबर 8, 6 व 9 के संदर्भ में जो रहननामा निष्पादित कर पंजीबद्ध करवाया गया जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 43 के अनुसार पांच वर्ष की अवधि के पश्चात् स्वमेव ही निरस्त हो चुका था परन्तु अधी0न्याया0 के द्वारा समस्त कानूनी बिन्दुओं को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा प्रकरण वादीगण को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर निर्णित करने हेतु अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 5 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । खसरा नंबर 64 व 65 प्रतिवादी संख्या 1 से 9 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजियात है जिसको वादीगण के पूर्वजों श्रीमती बरजी बैवा बन्ना, हेमसिंह, रूपा, देवा व अमरा पुत्र बन्ना रावत ने दिनांक 29.9.1970 को प्रतिवादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 9 के पूर्वजों घीसा, मिठू, धन्ना पि0 बींजा को विक्रय की थी तथा विक्रय दिनांक से प्रतिवादीगण/रेस्पो0 का ही विवादित आराजियात पर कब्जा काश्त चला आ रहा है । वादीगण ने पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 29.9.1970 को चुनौती देते हुए तथा विक्रय पत्र को निरस्त करने का निवेदन किया है जबकि राजस्व न्यायालय को पंजीकृत विक्रय पत्र को निरस्त करने का अधिकार नहीं है । वादीगण के पूर्वजों द्वारा विवादित आराजियात का बेचान किये जाने से वादीगण के विवादित आराजियात में हम व अधिकार समाप्त होकर प्रतिवादीगण/रेस्पो0 में निहित हो चुके है । रेस्पो0 अनुसूचित जाति के व्यक्ति है जिन्हें हैरान–परेशान करने की नियत से वादीगण/अपीलांटस ने वाद एवं अपील पेश की है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में वाद खारिज किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है । अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अपीलांटस का कथन है कि वादीगण के भ्राता हेमसिंह व रूपसिंह को उनकी निजी आवश्यकता के लिए रकम की आवश्यकता था जिस पर उनके द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 के पिता/पति घीसा, मिठू, धन्ना पुत्रगण बींजा, जाति मेघवाल निवासी रामावास, तहसील ब्यावर से वर्ष 1970 में राशि उधार प्राप्त की थी । उक्त उधार राशि के एवज में घीसा, मिठू, धन्ना पुत्रगण बींजा ने धोखाधड़ी करते हुए तथा वादी संख्या 1 व 2 की नाबालिग अवस्था तथा हेमसिंह व रूपसिंह तथा उनकी माता श्रीमती बरजी के अनपढ़ व ग्रामीण होने का नाजायज लाभ उठाते हुए उधार रकम की एवज में गिरवी की लिखापढ़ी का कहकर धोखे से दिनांक 29.9.1970 को पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित करवा लिया । तत्पश्चात्

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

हेमसिंह व रूपसिंह ने घीसा, मिठू, धन्ना से कुछ रकम और उधार प्राप्त की तथा इस बाबत् एक घोषणा पत्र एवं इकरानामा भी निष्पादित किया कि उधार रकम 10 वर्ष की अवधि में चुकता करने पर घीसा, मिठू, धन्ना विवादित भूमि का कब्जा प्राप्त कर पुनः अपने नाम भूमि करवा सकेगें । तत्पश्चात् हेमसिंह व रूपसिंह द्वारा वर्ष 1975 में संपूर्ण रकम वापिस घीसा, मिठू, धन्ना को अदा कर दी तथा इस आशय की लिखापढ़ी उक्त घोषणा पत्र की पुश्त पर दिनांक 10.5.1975 को की गई थी जिस पर घीसा, मिठू, धन्ना द्वारा स्वीकृति स्वरूप व उसे सही मानते हुए हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी अंकित किये थे जिसमें यह स्वीकार किया कि वादग्रस्त भूमियों से अब उनका किसी तरह का कोई संबंध सरोकार नही है तथा उन्होंने अपनी संपूर्ण राशि प्राप्त कर ली है यदि उक्त भूमियां जो घीसा, मिठू, धन्ना के नाम अंकित करवाई गई है वे वापिस वादीगण देवा व अमरा व रूपसिंह व हेमसिंह के नाम अंकित करवा देंगे । किन्तु घीसा, मिठू, धन्ना की नियत खराब होने से इन्होंने विवादित आराजियात वादीगण के नाम दर्ज नहीं करवाई है । अतः विवादित आराजियात वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 10 से 12 के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित की जावे तथा प्रतिवादीगण का नाम हटाया जावे ।

7. अधी0न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 29.9.1970 के अवलोकन से स्पष्ट है कि आराजी खाता संख्या 177 के खसरा नंबर 8 रकबा 0–16–10 बीघा एवं खसरा नंबर 6 का 1/18 हिस्सा 10 बिस्वा भूमि हेमसिंह उम्र 21 साल व रूपा उम्र 10 साल व देवा उम्र 12 साल तथा अमरा उम्र 7 साल नाबालिगान बवलायत मु0 बरजी माता खुद पि0 बन्ना कौम रावत एवं मु0 बरजी बेवा बन्ना रावत ने प्रतिवादीगण के पति/पिता घीसा, मिठू, धन्ना पि0 बींजा को बैचान किया जाना प्रमाणित होता है । वादीगण/अपीलांटस ने कथन किया कि वादीगण के भ्राता व माता श्रीमती बरजी द्वारा विवादित आराजियात विक्रय नहीं की गई थी बल्कि प्रतिवादीगण के पिता/पति के पास गिरवी रखी किन्तु धोखाधड़ी से रहननामा के बजाय विक्रय पत्र का निष्पादन करवा लिया । उक्त विक्रयपत्र के साथ वादीगण ने इकरारनामा/घोषणापत्र भी निष्पादित करवाया था जिसमें उधार की संपूर्ण राशि चुकता करने पर विवादित भूमि वादीगण को वापिस देने तथा अपने नाम कराने का अंकन किया गया है। तत्पश्चात् वर्ष 1975 में वादीगण द्वारा उधार की संपूर्ण राशि चुकता कर दी गई थी तथा उक्त भरपाई रसीद उक्त घोषणा पत्र की पुश्त पर अंकित है जिसमें घीसा, मिठू, धन्ना ने हस्ताक्षर कर स्वीकार किया कि वादग्रस्त भूमियों से अब उनका किसी तरह का कोई संबंध सरोकार नही हैं तथा उन्होंने अपनी संपूर्ण राशि प्राप्त कर ली है यदि उक्त भूमियां जो घीसा, मिठू, धन्ना के नाम अंकित करवाई गई है वे वापिस वादीगण देवा व अमरा व रूपसिंह व हेमसिंह के नाम अंकित करवा देंगे । उक्त दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण/अपीलांटस ने उक्त घोषणा/इकरारनामा के आधार पर विवादित आराजियात अपने नाम दर्ज किये जाने का अनुतोष चाहा है । इसके विपरीत विवादित आराजियात वर्तमान राजस्व रिकार्ड में पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 29.9.1970 के आधार पर प्रतिवादीगण/रेस्पो0 के नाम दर्ज है । इकरारनामा/घोषणा पत्र के आधार पर राजस्व न्यायालय को सुनवाई का क्षैत्राधिकार नहीं होकर सिविल न्यायालय को है । वादीगण/अपीलांटस इकरारनामा/घोषणा पत्र के आधार पर सिविल न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में वादीगण/अपीलांटस का वाद खारिज किया है जिसमें हमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

राजस्व अपील अधिकारी
अजमेर

8. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा वाद संख्या 181/2010 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.6.2016 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 3.9.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर